फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री प्रहलाद स्वर्णकार निवासी सदर बाजार, कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा

— प्रत्यर्थी

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 07 / 2026

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 23.02.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से जरिये पत्र क्रमांक :— आरटीआई / 2026 / 15 दिनांक 11.02.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रहलाद स्वर्णकार निवासी सदर बाजार कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 22.12.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। जिसके संबंध में प्रार्थी को सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / आरटीआई / 2026 / 13 दिनांक 19.01.2026 से सूचना इस कार्यालय के उक्त पत्रांक से प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। इस कार्यालय से संबंधित प्रार्थी की कोई सूचना शेष नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करवाने का आदेश फरमावे। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना द्वारा जरिये पत्र क्रमांक आरटीआई / 2026 / 13 दिनांक 19.01.2026 से अपीलार्थी को सूचित किया कि वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। अतः आप संबंधित कार्यालय में ही सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन करे। उक्त बाबत अपीलार्थी को सूचित किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वांछित सूचना हेतु प्राप्त आवेदन को समय सीमा में संबंधित विभाग / कार्यालय को अन्तरण नहीं किया गया। केवल प्रार्थी को सूचित किया गया कि वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना संबंधित विभाग / कार्यालय से प्राप्त कर	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपीलार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे। अतः उक्त अपील को इसी स्तर पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)